रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032020-218803
CG-DL-E-19032020-218803

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 151] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 16, 2020/फाल्गुन 26, 1941
No. 151] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 16, 2020/PHALGUNA 26, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2020

सा.का.नि. 177(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 42 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप कतिपय नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 या ईमेल: jspb-morth@gov.in, के माध्यम से उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजा जा सकता है।

विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किन्हीं आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) **शीर्षक एवं प्रारंभ**-(1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... ...संशोधन) नियम, 2020 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (इसके बाद उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित) में नियम 76 में उप-नियमों (8) में निम्नलिखित शब्दों और कोष्ठकों "तथापि, वे एक समान फ़ॉन्ट और रंग में (अर्थात्, काले रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग में संख्याएं और अक्षर), लेकिन उनके वाहनों के अधिकतम दो पर पंजीकरण संख्या से छोटे अक्षरों में सीसी (मानद) के बाद देश के नाम के शब्द का उपयोग कर सकते हैं", को लोप किया जाएगा।

3. उक्त नियमों में, नियम 76ए में खंड (क) और (ख) के लिए निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, नामत: -

"(क) उप-नियम (6) में, "सीडी" अक्षरों के लिए, संयुक्त राष्ट्र संगठनों तथा इसकी एजेंसियों के मामले में अक्षर "यूएन" और अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा अन्य एजेंसियों के मामले में अक्षर "आईओडी" को अंत:स्थापित किया जाएगा; तथा

(ख) उप-नियम (7) में, "सीसी" अक्षरों के लिए, संयुक्त राष्ट्र संगठनों तथा इसकी एजेंसियों के मामले में अक्षर "यूएन" और अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा अन्य एजेंसियों के मामले में अक्षर "आईओसी" को अंत:स्थापित किया जाएगा।

[सं. आरटी-11028/04/2019-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मुख्य नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उपधारा (i) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590 (अ), 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि.......... (अ), दिनांकित........द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2020

G.S.R. 177 (E).— The draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 42 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be

taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi - 110 001 or by email at jspb-morth@gov.in within the period specified above;

Objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) **Short title and commencement.—(1)** These rules may be called the Central Motor Vehicles (………… Amendment) Rules, 2020.

(2) These rules shall come into force on the date of final publication in the official Gazette.

2. In Central Motor Vehicles Rules, 1989, (hereinafter referred as said rules), in rule 76, in sub-rule (8), the following words and brackets "They may, however, use the word "name of the country followed by CC (Honorary)" in the same font and colour (i.e., the numbers and letters in white colour on black background) but in letters smaller than the registration number on a maximum of two of their vehicles." shall be omitted.

3. In the said rules, in rule 76A for the clause (a) and (b) the following shall be substituted, namely:-

"(a) In sub-rule (6), for the letters "CD", the letters "UN" in case of United Nations Organizations and its agencies and the letters "IOD" in case of International Organization and other agencies shall be substituted; and.

(b) In sub-rule (7), for the letters "CC", the letters "UN" shall be substituted in case of United Nations Organization and its agencies and the letters "IOC" in case of International Organization and other agencies shall be substituted".

[No. RT-11028/04/2019-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number G.S.R. _____________(E),dated _______________.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.03.19 19:09:22 +05'30'